तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज नजरसानी/एल.आर/965/2011/अजमेर जयनगर गृह निर्माण बनाम नगर सुधार न्यास	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
12-12-2011		

एकलपीठ
श्री ताराचन्द सहारण, सदस्य

उपस्थित–
श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री घनश्यामसिंह लखावत, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण संख्या–3 से 5

आदेश

प्रार्थी द्वारा यह नजरसानी प्रार्थनापत्र धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत मण्डल की एकलपीठ द्वारा निगरानी संख्या 6331/2008 में पारित निर्णय दिनांक 18-5-2010 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा मण्डल की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18-5-2010 के विरूद्ध यह नजरसानी प्रार्थनापत्र धारा 96 सिविल प्रकिया संहिता के प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत की गयी है।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने नजरसानी मीमों में उल्लेखित तथ्यों को अपनी बहस में दोहराते हुए कथन किया कि माननीय खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। उनका कथन है कि माननीय खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय में ऐसी महत्वपूर्ण त्रुटियां रह गई है जो प्रथम दृष्ट्या ही रिकार्ड पर परिलक्षित होती है, जिसके कारण माननीय एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय पुनरावलोकन योग्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा धारा 96 जाप्ता दीवानी के प्रार्थनापत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी खातेदार से क्रय की थी तथा आज भी कब्जे में है। प्रार्थी व्यथित पक्षकार है तथा उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित किया गया है। अतः प्रार्थी को नजरसानी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जावे। इसके साथ ही धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र पर बहस करते हुए योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए नजरसानी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की। अन्त में योग्य अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा नजरसानी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज नजरसानी/एल.आर/965/2011/अजमेर जयनगर गृह निर्माण बनाम नगर सुधार न्यास	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर पारित निर्णय को निरस्त करने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने पारित निर्णय को विधिसम्मत् बताते हुए नजरसानी प्रार्थनापत्र को खारिज किये जाने की प्रार्थना की। उनका कथन है कि प्रार्थी मूल वाद एवं अपील मे पक्षकार नहीं था तथा प्रार्थी का विवादित आराजी में किसी प्रकार का अधिकार निहित नहीं है। प्रार्थी द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि वह किसी प्रकार पारित निर्णय से व्यथित है। प्रार्थी को नजरसानी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। अपने कथन के समर्थन में योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा आरआरडी 1988 पेज 64 के न्यायिक दृष्टान्त का उद्धरण प्रस्तुत किया। उनका यह भी कथन है कि प्रार्थी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18-5-2010 के विरूद्ध नजरसानी प्रार्थनापत्र दिनांक 17-2-2011 को प्रस्तुत किया गया है तथा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना में देरी बाबत् पर्याप्त एवं सद्भाविक कारणों को उल्लेख नहीं है।

हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्कों को ध्यान में रखते हुए नजरसानी प्रार्थनापत्र में उल्लेखित आक्षेपों का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं मनन किया है।

सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र पर सहानुभूतिपूर्ण रूख अपनाते हुए प्रार्थी की ओर से नजरसानी प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 जाप्ता दीवानी पर निर्णय पारित किया जाना उचित समझते है।

प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि प्रार्थी निगरानी में पक्षकार नहीं थी, ना ही अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष पक्षकार था। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा धारा 96 जाप्ता दीवानी के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे उन्हें व्यथित पक्षकार होना माना जा सके। यहां हम योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 1988 पेज 64 के पैरा 11 में प्रतिपादित सिद्धान्त का उल्लेख करना उचित समझते है, जो निम्नानुसार है-

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज नजरसानी/एल.आर/965/2011/अजमेर जयनगर गृह निर्माण बनाम नगर सुधार न्यास	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

"The learned Deputy Government Advocate appearing on behalf of the state has supported the order of the learned RAA on the ground that the allottees had no right to file a review petition against order dated 26.9.80. Reliance has been placed on 1984 RRD 848 and 1985 RRD 307 in which it has been held that a review petition can be filed only by a person who was a party to the proceedings or on who is aggrieved against the same. In 1978 RRD 240 it has been held that a **person who was not himself a party to the proceedings can point out the error apparent on the face of the record and the court can review the order suo moto.** A perusal of Order 47 Rule 21 shows that any person considering himself aggrieved by the order can file a review petition but under section 229 of the R.T.Act the court can review the order either suo moto or on the application of a party. **In view of the phraseology used in section 229 of the R.T.Act a person who was not a party to the proceedings cannot file an application for review.**

उक्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि नजरसानी प्रार्थनापत्र उसी पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है जो पूर्व पारित निर्णय में पक्षकार हो या ऐसे तत्व मौजूद हो जिससे स्वप्रेरणा से भी पुनरावलोकन किया जा सकता है।

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी निगरानी में पक्षकार नहीं था परन्तु उसके द्वारा धारा 96 जाप्ता दीवानी का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर नजरसानी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने की स्वीकृति चाही गयी है, जो उक्त अवधारणानुसार स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

जहां तक स्वप्रेरणा से पुनरावलोकन करने का प्रश्न है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि नजरसानी एक अतिरिक्त अपील का माध्यम नहीं बन सकती है तथा नजरसानी में केवल उस सीमा तक ही विचार किया जा सकता है जिस सीमा तक आदेश 47 नियम 1 सी पी सी में प्रावधान दिये गये है। नजरसानी का दायरा अत्यधिक सीमित होता है और नजरसानी की आड में प्रकरण का पुनः परीक्षण नहीं किया जा सकता है। यहां तक कि यदि निर्णय में लिया गया दृष्टिकोण गलत हो तो भी वह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज नजरसानी/एल.आर/965/2011/अजमेर जयनगर गृह निर्माण बनाम नगर सुधार न्यास	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	नजरसानी के लिए आधार नहीं हो सकता है जैसा कि माननीय उच्चमत् न्यायालय द्वारा रिव्यू पीटिशन संख्या 662/2001 बउनवान सुरेन्द्रकुमार वकील व अन्य बनाम चीफ एक्जीटिव आफिसर एम.पी. व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15 अप्रेल, 2004 में प्रतिपादित किया गया है, जो आरआरटी 2005(1) पेज 545 पर उद्धरित है। अतः ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे स्वप्रेरणा से यह प्रकरण पुनरावलोकन किये जाने योग्य हो। परिणामतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है। निर्णय की सूचना उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण को दी जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। 12-12-2011 (ताराचन्द सहारण) सदस्य	